

आदेश

राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 वित्त विभाग के नियम क्रमांक एफ.15(88)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 27.02.2022 एवं एफ. 15(88)एफडी/रूल्स/2008 दिनांक 27.02.2022 एवं क्रमांक एफ 15(1) एफडी/रूल्स/2017/पी.टी. जयपुर दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 9/18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी/ एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्रीमति/सुश्री)	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	एसीपी/एमएसीपी देय तिथि व पूर्ण सेवा अवधि	पे-लेवल	देय पे-लेवल
01.	राकेश सोलंकी	भरतपुर	12.08.2005	12.08.2023 (18 वर्षीय एमएसीपी)	एल-10	एल-11
02.	ओमवती देवी	भरतपुर	26.07.2005	26.07.2023 (18 वर्षीय एमएसीपी)	एल-10	एल-11
03	वंदना शर्मा	भरतपुर	19.09.2011	19.09.2020 (9 वर्षीय एसीपी)	एल-08	एल-10
04	पल्लवी चौधरी	भरतपुर	08.09.2011	08.09.2020 (9 वर्षीय एसीपी)	एल-08	एल-10
05	गीता मीणा	झींझर	27.06.2013	27.06.2022 (9 वर्षीय एसीपी)	एल-08	एल-10

नोट:-

- यदि उक्त कार्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान होने के कारण नियमानुसार यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.का./एमएसीपी/20/2025/04

दिनांक:-07-01-2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन-भरतपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भरतपुर/झींझर प्रकरण देरी से भिजवायें जाने के लिये उत्तरदायी अधिकारी/कर्मचारी के स्पष्टीकरण प्राप्त कर निदेशालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी # मुख्य चिकित्सा अधिकारी, राजाखेड़ा, झींझर।
- प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
- आदेश/निजी पत्रावली।

Signature valid

Digitally signed by Rakesh Kumar Sharma
Designation : Director
Date: 2025.01.04 21:37:55 IST
Reason: Approved

